



प्रेस नोट


थाना खेकडा

दिनांक 17.04.2025

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 128/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/ 125/135/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 तमन्चा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.04.2025 को थाना खेकडा पर वादी विनोद पुत्र जयप्रकाश निवासी करुबा व थाना खेकडा जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दो कि अभियुक्तों 1.शोभित पुत्र जयकुमार निवासी करुबा व थाना खेकडा जनपद बागपत, 2.शनि पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम धनपुरा थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ व 02 महिला द्वारा जान से मारने की नीयत से ईट पत्थरों से पथराव किया गया व मारपीट की तथा गाली-गलौच करते जान से मारने की धमकी दी । अभियुक्त शोभित व उसके दोस्त शनि द्वारा जान से मारने की नीयत से तमन्चे से फायर किया, जिसमें वादी व वादी की पत्नी बाल-बाल बचे तथा पुलिस के साथ अभद्रता की । इस सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 128/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/125/132/3(5) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 128/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/ 125/132/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्ताओं सहित अन्य 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय एक जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुआ है । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों के नाम व पता-

- 1-शोभित पुत्र जयकुमार निवासी कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-शनि पुत्र राजेन्द्र निवासी ग्राम धनपुरा थाना किला परीक्षितगढ़ जनपद मेरठ ।

गिरफ्तार अभियुक्त शोभित का आपराधिक इतिहास-

- 1.मु०अ०सं० 165/19 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु०अ०सं० 5/20 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-मु०अ०सं० 124/20 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 4-मु०अ०सं० 50/21 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 5-मु०अ०सं० 343/23 धारा 323/506/3(2)5ए एससी एसटी एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-मु०अ०सं० 257/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-मु०अ०सं० 396/18 धारा 60/72 आबकारी अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत।
- 8-मु०अ०सं० 208/23 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 9-मु०अ०सं० 21/18 धारा 13 जी एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 10-मु०अ०सं० 377/20 धारा 307 भादवि थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 11-मु०अ०सं० 601/20 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत।
- 12-मु०अ०सं० 226/20 धारा 392/411 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 13-मु०अ०सं० 250/20 धारा 307 भादवि थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।

14-मु0अ0सं0 128/25 धारा 115(2)/352/351(2)/109/125/132/3(5) बीएनएस व 3/25/27 आम्स एक्ट थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री अबरार हुसैन थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 सीमा थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-है0का0 53 रविन्द्र कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 4-का0 555 रवि चौधरी थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 5-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 6-म0का0 82 निर्मल थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 7-म0हो0गा0 सीमा थाना खेकडा जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 17.04.2025

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 88/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 16.04.25 को थाना रमाला पर वादी उ0नि0 श्री प्रियांशु देशवाल ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1- शादाब, 2-साकिब पुत्रगण नूर इस्लाम निवासीगण



ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत, 3- मुकीम पुत्र इलियास

निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत, 4-वासिफ पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम फौलाद नगर थाना दोघट जनपद बागपत, 5- मौहम्मद आरिफ पुत्र मुनफैद निवासी गरिमा गार्डन साहिबाबाद थाना टिल्ला मोड जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा अपने व्यक्तिगत लाभ के लिये एक राय होकर धोखाधडी करके फर्जी तरीके से कूटरचित पुलिस सत्यापन चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर सही दस्तावेज के रूप में नौ सेना ब्रान्च नेवल डोकयार्ड मुम्बई में जमा किया गया । इस सम्बन्ध में थाना रमाला पर मु0अ0सं0 88/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 88/25 धारा 318(4)/338/336(3)/340(2) बी.एन.एस. से सम्बन्धित 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

- 1-शादाब पुत्र नूर इस्लाम निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-साकिब पुत्र नूर इस्लाम निवासी ग्राम अशरफाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-मुकीम पुत्र इलियास निवासी ग्राम फौलादनगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-वासिफ पुत्र अली मौहम्मद निवासी ग्राम फौलाद नगर थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-मौ0 आरिफ पुत्र मुनफैद निवासी गरिमा गार्डन साहिबाबाद थाना टिल्ला मोड जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्राम किरठल थाना रमाला जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1-निरीक्षक श्री विनोद कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 2-म0उ0नि0 पूजा यादव थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 3-उ0नि0 श्री प्रियान्शु थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 4-है0का0 263 मौ0 आरिफ थाना रमाला जनपद बागपत ।
- 5-है0का0 351 पवन नागर थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 17.04.2025

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने थाने के मु०अ०सं०108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्ता को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 25.3.25 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी शौकीन पुत्र कमालूद्दीन निवासी मौ० केतीपुरा कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि वादी की पुत्री के ससुराल जनो 1.पति सुहेब पुत्र शहजाद



2.देवर सुहेल पुत्र शहजाद 3.ससुर शहजाद पुत्र शबीव खां व 02 महिला निवासी गण बिलौचपुरा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिये प्रताडित किया, अतिरिक्त दहेज की मांग की तथा मांग पूरी ना होने पर उसकी पुत्री की हत्या कर दी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम पंजीकृत किया गया था ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 108/25 धारा 80(1)/85 बीएनएस व 3/4 दहेज अधिनियम के वांछित महिला अभि० को गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

01 महिला ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-म0उ0नि0 दीपिका यादव थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-का0 467 कुलदीप शर्मा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

